संख्या-4347(2)आर/छ-पु-5-566/2

प्रेषक,

के0 एम0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 1993
1993

विषय:- एक लाइसेंस पर एक से अधिक शस्त्र अंकित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3197 आर/छ-पु-5-90 दिनांक 25-8-1990 में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि एक शस्त्र लाइसेंस पर एक से अधिक शस्त्रों का अंकन न किया जाय, अपितु प्रत्येक शस्त्र कि लिए पृथक लाइसेंस स्वीकृत किये जायं।

जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर के समक्ष एक लाइसेंसी द्वारा राजस्थान सरकार का पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके लाइसेंस पर एक अतिरिक्त पिस्टल/रिवाल्वर तथा राइफल कय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिलाधिकारी, ललितपुर के माध्यम से प्राप्त कथित राजस्थान सरकार के पत्र की जॉच कराई गई। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कथित पत्र राजस्थान द्वारा जारी नही किया गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के बाहर से जारी ऐसे अनुमति पत्रों पर कार्यवाही करने पूर्व गहराई से छानबीन की जाय। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आपके जिले के बाहर जारी लाइसेंसों को जिले में दर्ज करने के पूर्व लाइसेंस स्वीकृत अधिकारी से ऐसे लाइसेंस जारी होने की पुष्टि करा ली जाय।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(के0 एम0 श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव